

पं. 5-18

पत्रावली द्वारा राजस्व कॅम्प कोर्ट द्वारा
आपके द्वारा 2018 के कॅम्प कोर्ट सुवर्णकर्त
तला के पेश हुई। चूंकि मूलवाद में
निर्णय किया जा चुका है। इस प्रकार के निर्णय
में आगे के कार्यवाही का कोई औचित्य
नहीं रहा। अतः इस निर्णय के आगे
को कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त कर कस
न्यायलय द्वारा जारी स्वयंसेवा दि. 31/8/16
को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फिलहाल
शुभार होकर वापिस दफ्तर हो। संजमा
से कम हो।

सहायक कलेक्टर
- सी. हटन -